## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 2338–पीबीआर / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, क्षेत्र ग्वालियर प्रकरण कमांक 28 / 12–13 / अपील.

---

1– पूरन पुत्र स्व. रामदयाल
2– गुलाब पुत्र स्व. रामदयाल
3– पॉचो पुत्री रामदयाल पत्नी श्रीराम
निवासी ग्राम छोडा
तहसील व जिला ग्वालियर ..........आवेदकगण

**विरूद्ध**

1– सुरेश पुत्र छिद्दाराम
2– छिद्दाराम पुत्र स्व. रामदयाल
3– भरोसी पुत्र स्व. रामदयाल
निवासीगण ग्राम छोडा
तहसील व जिला ग्वालियर ..........अनावेदकगण

---

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक. 1

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक** 26|11|16 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, क्षेत्र ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 4 दिनांक 11–1–09 पर पारित आदेश दिनांक 27–1–09 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 19–3–13 को लगभग 3 वर्ष विलम्ब अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 28/12–13/अपील दर्ज कर दिनांक 27–5–2014 को आदेश पारित किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने का कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बंदोबस्त के दौरान निरस्त हुए नामांतरण के विरूद्ध अनावेदकगण को संहिता की धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही करना चाहिए थी, संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 को नामांतरण पंजी पर पारित आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है ।

तर्कों के समर्थन में 1999 आर.एन. 349 व 366, 2013 आर.एन. 120, 1992 आर.एन. 289, 2010 आर.एन. 160 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व का नामांतरण आदेश अस्तित्व में है, इसलिए उसके रहते पुनः नया नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अतः नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 27–1–09 पूर्णतः अवैधाानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रकरण में पहले अनावेदक कमांक 1 सुरेश का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकार किया गया है, तत्पश्चात बंदोबस्त के दौरान वापिस जमुना देवी का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया है, उसके पश्चात जमुना देवी के वारिसान का नामांतरण स्वीकृत किया गया है । उक्त कार्यवाही विधिसंगत नहीं ठहराई जा सकती है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर